भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4265
दिनांक 19 अगस्त, 2025/ 28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

यौन हिंसा के मामले

†4265. श्रीमती जून मालिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मानती है कि पश्चिम बंगाल के जंगलमहाल जैसे जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में यौन हिंसा के मामले बढ़ रहे है;

(ख) उत्तरजीवी-केंद्रित और समयबद्ध न्याय विधान को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का राज्य सरकारों के सहयोग से अपराजिता विधेयक को अंगीकृत करने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। 2020-2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत दर्ज मामलों की संख्या इस प्रकार है: -

वर्ष	2020	2021	2022
दर्ज अपराधों की संख्या	371503	428278	445256

महिलाओं के अधिकारों के बारे में समाज में शिक्षा और जागरूकता के स्तर में वृद्धि, कानून प्रवर्तन तंत्र में सुधार, पुलिस थानों तक पहुंच में आसानी और मामलों के पंजीकरण की सुविधा, जीरो एफआईआर सहित एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रोटोकॉल और एडवायजरीज (Advisories) का अनुपालन, अधिकारियों का लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि, के कारण अपराध की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

भारत सरकार देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देती है और अपराध डेटा और रुझानों की लगातार निगरानी करती है तथा यथानुसार आवश्यक कदम उठाती है। इसमें आपराधिक कानूनों में संशोधन, तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक सहायता , राज्य पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, वित्तीय सहायता एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श जारी करना आदि शामिल हैं।

(ख): हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को दूर करने के लिए एक मजबूत और व्यापक उत्तरजीवी-केंद्रित विधायी ढांचा है, जिसमें जांच और ट्रायल के विभिन्न चरणों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं प्रवर्तनीय समय-सीमा के साथ-साथ, पीड़ितों को मुआवजे के समयबद्ध-भुगतान के प्रावधान और अदालतों द्वारा मामलों के स्थगन पर प्रतिबंध के साथ कड़े आपराधिक कानून शामिल हैं।

इसके अलावा, हाल ही में लागू किए गए तीन आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) में उत्तरजीवी-केंद्रित और समयबद्ध न्याय विधान को प्राथमिकता दी गई है। कुछ संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:

i. रिपोर्टिंग में आसानी: ऑनलाइन रिपोर्टिंग और ज़ीरो एफआईआर के प्रावधानों के साथ, अब कोई भी व्यक्ति, बिना किसी पुलिस स्टेशन जाए, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है और किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट

(एफआईआर) दर्ज करा सकता है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।

ii. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और विकलांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।

iii. पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना: निचली अदालत द्वारा प्रतिपूर्ति की सिफारिश पर या पीड़ित या उसके आश्रितों के आवेदन पर, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दो महीने के भीतर जाँच पूरी करके पर्याप्त प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा।

iv. त्वरित और निष्पक्ष समाधान - नए कानूनों में मामलों के त्वरित और निष्पक्ष समाधान का प्रावधान हैं, जिससे न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। जाँच और सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण, जैसे - प्रारंभिक जाँच (14 दिनों में पूरी की जानी है), आगे की जाँच (90 दिनों में पूरी की जानी है), पीड़ित और अभियुक्त को दस्तावेज़ उपलब्ध कराना (14 दिनों के भीतर), ट्रायल के लिए मामला सौंपना (90 दिनों के भीतर), डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करना (60 दिनों के भीतर), आरोप-निर्धारण (60 दिनों के भीतर), निर्णय सुनाना (45 दिनों के भीतर) और दया याचिकाएँ दाखिल करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन) - को सुव्यवस्थित किया गया है और इन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना है।

v. त्वरित जाँच- नए कानून महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जाँच को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के भीतर जाँच पूरी की जानी होती है।

vi. सीमित स्थगन- अदालतें मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए अधिकतम दो स्थगन दे सकती हैं, जिससे समय पर न्याय सुनिश्चित हो सके।

(ग): संबंधित विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से विधेयक की जाँच की गई है और उनकी टिप्पणियों के आधार पर, राज्य सरकार से अपने विचार/स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया है।

****